

$\frac{1}{2} \times 10 = 5$

1221
6-72220

No. 1416 /DRA Dated: 27-06-2020

District Collector
Kangra at Dharamshala

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Rakesh Kumar Prajapati, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 24-06-2020 at 04.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Dharamshala Municipal Corporation, claiming rights in **02-96-96 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dharamshala, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
_____ No claim filed by anyone _____			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)


<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Dharamshala, no application was received from Dharamshala Municipal Corporation claiming rights in **02-96-96 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 1417 /DRA Dated : 27-06-2020


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

***Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

**Office of the SDO (Civil) Dharamshala
District Kangra (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted
under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition
of Rights), Act (FRA), 2006**

A meeting of the Sub-Division level Committee of Dharamshala Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ Chairpersonship of Sh. Harish Gajju, SDO (Civil) Dharamshala on 22/02/2020 at 11.30 AM at the office of SDO (Civil) Dharamshala in which the application(s) of the applicants of Dharamshala Municipal Corporation/Gram Sabha, claiming rights in 29696-13 Sq. Mts. forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dharamshala Municipal Corporation/Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr. No.	Name of the applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		Nil	
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of the applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		Nil	
2.			
OR			

As informed by Dharamshala Municipal Corporation /Gram Sabha, no application was received claiming rights in 29696-13 Sq. Mts forest area.

Place : Dharamshala.

Date : 22-02-2020


SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division Dharamshala

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा 06

प्रतिलिपि प्रस्ताव

01

दिनांक 22/12/19

[illegible]

पदसं० * पात्र प्राप्त होखी का नाम जगत का नाम वन अधिकार का खाता

कहानिपुत्र वर वन अधिकार समिति इन दावे/ इन दावों को प्रकट करने हेतु, इन दावों से इनमें निम्नलिखित दावे हैं।

अध्यापक व से विद्यार्थी लिखित पाठ्य का साथ नियमानुसार सही नहीं पढ़ा पाया।

* पात्र याग वाली का नाम

[illegible]

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

दिनांक २२/१२/१९

प्रधान
सम अधिकार समिति
वाई नं०
नगर

* पाठ्यपुस्तक/पाठ्य सामग्री के चयन जिन्होंने इस कम क्षेत्र/समय में कम अधिकार के साथ किया है।

प्रमाण की अनुमति दी जाती है

Annexure-I
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

वार्ड सभा / वार्ड संख्या 06

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22/12/19

प्रस्ताव संख्या 01

वन अधिकार समिति वार्ड सभा / वार्ड संख्या 06

को 2.00

बजे स्थान श्रीगुवाडी

नवरो

की बैठक आज दिनांक 22/12/19

जंगल निगम

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

06

वार्ड के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता)

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र

में (जिसमें

जंगल निगम)

विभाग द्वारा

उ.स. संस्था

के निर्माण के लिये

0.7028-37

जंगल

है। वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिये

दावे हेतु प्राप्त हुये वार्डवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या

पात्र वार्डवासियों का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1

2

3

4

5

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु वार्डसभा से इसकी सिफारिश करती है ।
 उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स०

1

पात्र वार्डवासियों के नाम

2

तदनुसार वार्डसभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है ।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

जंगल निगम

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रधान

वन अधिकार समिति

वार्ड सभा / वार्ड संख्या

वार्ड नं०

जंगल निगम

- वार्डवासी/वार्डवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावों के लिये आवेदन किया है ।
- प्रोजेक्ट/कार्यों का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा व.स.नं. 6
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 22/12/19

ग्राम सभा व.स.नं. 6 की बैठक आज दिनांक 22/12/19 को 2.00 बजे, स्थान सायुजी मंदिर में श्री/श्रीमति रमेश्वरी मेखरी की अध्यक्षता में की गई जिसमें व.स.नं. 6 जातवा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा कुडी मन्दिर के निर्माण के लिए 2.96 हेक्टर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी प्रस्तावित है) व अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति का सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासी के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

- 1
- 2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1
- 2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान जातवा

दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा व.स.नं. 6

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा 6
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22/12/19

प्रस्ताव संख्या 8(Ab)

ग्राम सभा 6 की बैठक आज दिनांक 22/12/19 को 2.00 बजे स्थान गांधीदेवी मंदिर में श्रीमति तारादेवी कोर की अध्यक्षता में की गई जिसमें वस 7006 गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल क्षेत्र वन में निवास करने वाले विभाग द्वारा क.स.र.य. के निर्माण के लिए 2.98 हेक्टेयर की भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों में दावा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का

1

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप राष्ट्र स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

अधिकांश में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान चतरगा

दिनांक

जंगल/वन क्षेत्र में कोई वन
Kajinder Kaur
Municipal Councillor
अधीकृत अधिकारकर्ता
ग्राम Pabamsha, H.P.

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे की प्रतिकृति प्रेषित की है।

** राजेंद्र/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

105

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा धमशाला, गजरा गिरा
विकास खण्ड जिला काशी (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30/12/19

प्रस्ताव संख्या 24(8) IX

गणपूर्ति /

विषय धमशाला, गजरा गिरा विभाग/संस्था को कृषि-वन-युग्म
के निर्माण हेतु 34.5 हे. धमशाला
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.96 हेक्टेयर वन भूमि
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा धमशाला, गजरा गिरा की बैठक आज दिनांक
30-12-19 को 11.00 बजे, स्थान काशी जिला धमशाला, गजरा गिरा
की गई, जिसमें धमशाला, गजरा गिरा विभाग/संस्था को कृषि-वन-युग्म
के निर्माण हेतु 34.5 हे. धमशाला जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
2.96 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व संमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व संमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.96 हेक्टेयर वन भूमि को कृषि-वन-युग्म निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा धमशाला, गजरा गिरा की सहमति दी जाती है।

स्थान धमशाला

दिनांक

अधीकृत प्रस्तावकर्ता म

ग्राम सभा

Mayor
Municipal Corporation
Dharamshala

(105)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कुरीशम जंगल विभाग
 विकास खण्ड कुरीशम जिला कुरीशम (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30/12/19गणपूर्ति /प्रस्ताव संख्या 24(8)IX

विषय: कुरीशम जंगल विभाग विभाग/संस्था को कुडा स-2A
 के निर्माण हेतु 2.96 हेक्टेयर वन भूमि
 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.96
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कुरीशम जंगल विभाग की बैठक आज दिनांक 30/12/19
 के निर्माण हेतु 2.96 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई
 के निर्माण हेतु 2.96 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.96 हेक्टेयर वन भूमि को कुडा स-2A निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा कुरीशम जंगल विभाग की सहमति दी जाती है।

स्थान कुरीशम
 दिनांक 30/12/19

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा hhs

Mayor
 Municipal Corporation
 Dharamshala

105

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा धरमशला गाँव पंचायत
विकास खण्ड जिला 29/12/19 (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 20/12/19

गणपूर्ति /

प्रस्ताव संख्या 246/IX

विषय: धरमशला गाँव पंचायत विभाग/संस्था को कृषि
के निर्माण हेतु 34.25 एकड़
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.96 हेक्टेयर वन भूमि
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा धरमशला गाँव पंचायत की बैठक आज दिनांक 20/12/19 को 11:00 बजे स्थान धरमशला गाँव पंचायत
को गई जिला जिला विभाग/संस्था को कृषि
के निर्माण हेतु 34.25 एकड़ जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
2.96 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व संमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने का सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व संमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.96 हेक्टेयर वन भूमि को कृषि निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा धरमशला गाँव पंचायत की सहमति दी जाती है।

स्थान धरमशला
दिनांक 20/12/19

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
Mayor
Municipal Corporation
Dharamshala